

वन भूमि की मांग की औचित्य पूर्ण विस्तृत आख्या

4

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.5225 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम गोरुण की 370 की आबादी अभी तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है और ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं हेतु लगभग 1.50 किमी. पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। प्रस्तावित समरेखण ग्राम गोरुण की नाप भूमि, सिविल भूमि व वन आरक्षित भूमि से होकर गुजर रहा है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है, जो तकनीकी भू वैज्ञानिक के दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है, जैसे कि मानचित्र के अनुसार ग्राम गोरुण की नाप भूमि तथा आरक्षित वन भूमि, सिविल भूमि से घिरा है। उक्त निर्माण कार्य के दौरान मक डिस्पोजल चयनित वन भूमि एवं चयनित सिविल भूमि में किया जायेगा।

अतः ग्राम गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए आरक्षित सिविल तथा नाप भूमि की आवश्यकता है। इसलिए प्रस्तावित समरेखण में भू वैज्ञानिक द्वारा परीक्षण कराकर न्यूनतम आरक्षित वन भूमि, सिविल भूमि व नाप भूमि की मांग की गयी है। उक्त भूमि का हस्तान्तरण किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मोटर मार्ग का निर्माण औचित्यपूर्ण है।

कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी

साहसीलदार,
चिन्यालीसौड।

प्रभागीय वनोपकारि
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनोपकारि
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

वन वैज्ञानिकी
थरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रभागीय वनोपकारि
उत्तरकाशी वन प्रभाग